(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पप्पू वगैरह बनाम रूपाराम (फौत) बद्री वगैरह

किस्म मुकदमाः–212 आर0टी0ए0 प्रकरण सं.ः–108/2021 (जी.एस.एम.एस नं. 2021/81)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2026	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पति/पिता सहीराम उर्फ सहीया पुत्र बलिया कौम चमार साकिन संघर के नाम से रोही संघर में 25.08 बीघा रकबा खातेदारी मौरूसी था, जो वरवक्त चकबंदी चक 9 एस.जी.आर. के पत्थर नं. 23/308 के किला नं. 1/0.03, 2 ता 25 की 24.00 बीघा इस प्रकार 24.03 बीघा व पत्थर नं. 22/308 के किला नं. 21/1.00, किला नं. 22/1 में 0.05 बीघा इस प्रकार दोनों पत्थर नं. 25.08 बीघा रकबा पैमुद हुआ। प्रार्थीगण के पति/पिता का उक्त पत्थर नं. 23/308 का 25.08 बीघा मौरूसी खातेदारी रकबा में से भाखड़ा की चकबंदी पैमुद होते ही अप्रार्थीगण संख्या 1 के चहेते व्यक्ति मनीराम पुत्र नत्थुराम जाति बिश्नोई साकिन प्रेमपुरा की माता धोला जोजा नत्थु जाति बिश्नोई ने इस रकबा में से 12.14 बीघा रकबा बिना रजिस्ट्री व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही धोला ने अपने नाम प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम का रकबा संयुक्त खाता रखते हुए कानून के प्रावधानों के विपरित जाकर अनुसूचित जाति का रकबा स्वर्ण जाति के नाम करवा लिया था। जिसको प्रार्थी ने अपने नाम करवाने के लिए अलग से कार्यवाही सिविल न्यायालय में कर रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 ने शेष 3.150 हैक्टर रकबा अपने नाम बिना बैयनामा व प्रार्थीगण के पिता को बिना बताए बिना हस्ताक्षर अगुंठा के अपने नाम व विधि सम्मत् बैयनामा तस्दीक करवाये बगैर राजस्व अधिकारियों व सरपंच ग्राम पंचायत ढ़ाबा से प्रार्थीगण के पति/पिता की उपस्थिति के बिना ही व बिना प्रतिफल दिये व बैयनामा बिना पंजीकरण करवाये ही सांठगांठ कर इन्तकाल दर्ज करवा लिया। राजस्व रिकार्ड में यह रकबा अब भी अप्रार्थी संख्या 1 मृतक रूपाराम के नाम से दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता/पति सहीराम उर्फ सहिया ने अपने नाम के मौरूसी रकबा का अप्रार्थी संख्या 1 या अन्य किसी काश्तकार को बेचान नही किया है। ना ही कभी कोई प्रतिफल प्राप्त किया। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने जालसाजी करके प्रार्थीगण के पिता/पति के रकबा का दिनांक 12.07.1960 का बैयनामा दर्शाते हुए अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया। प्रार्थी संख्या 1 ता 3 व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 मृतक सहीराम उर्फ सहिया के जायज वारिस होने से उनके नाम के उक्त रकबा को जायज वारिस की हैसियत से प्राप्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण अपना हक घोषित करवाने के हकदार है। अप्रार्थी संख्या 1 ने धोली जोजा नत्थु से प्रार्थीगण के पति/पिता का उक्त रकबा 25.08 बीघा में से 12.09 बीघा का खाता विभाजन करवाकर चक 9 एस.जी.आर. के पत्थर नं. 23/308 के किला नं. 1/0.038 हैक्टर बारानी, 2 ता 13 की 3.036 हैक्टर बारानी, 14/0.076 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल 3.150 हैक्टर रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम करवा दिया व शेष पत्थर नं. 22/308 के किला नं. 21/1.00 बीघा व किला नं. 22/1 की 0.05 बीघा व पत्थर नं. 23/308 के किला नं. 14/2 का 0.14 बीघा व किला नं. 15 ता 25 की 11.00 बीघा इस प्रकार कुल 12.19 बीघा रकबा [illegible] अपने नाम करवा लिया। उक्त बैयनामा प्रार्थीगण के हितो [illegible] प्रश्नगत रकबा को बेचान करना चाहते है। इसलिये प्रार्थना पत्र [illegible] जाकर दावा के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि व चक 9 एस.जी.आर. के पत्थर नं. [illegible]308 के किला नं. 1/0.038 हैक्टर बारानी, 2 ता 1[illegible] की 3.036 हैक्टर बारा[illegible]/0.076 हैक्टर इस प्रकार कुल 3.150 हैक्टर रकबा अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/5 के अतिक्रमण के रकबा की नगद प्रतिभूति राशि 25000/– प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/5 से करवाई जावे तथा जमा ना होने की सूरत में रकबा बहक सरकार लिया जावे। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2026	वकील अप्रार्थीगण सं. 1/2, 1/3, 1/4 ने जवाब को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण के पिता सहीराम उर्फ सहीया ने जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.07.1960 से अप्रार्थीगण के पिता को चक 9 एसजीआर के पत्थर नं. 23/308 की 3.150 हैक्टर भूमि खरीद की थी। मुताबिक बैयनामा इंतकाल दर्ज हुआ है। अप्रार्थीगण के पिता रूपाराम पुत्र पूर्णराम के फौत होने पर उक्त भूमि हम अप्रार्थीगण के नाम विरास्तन दर्ज हुई है। प्रार्थीगण द्वारा लगभग 61 वर्ष बाद यह दावा प्रस्तुत किया गया है। बैयनामा एवं बैयनामा की पालना में दर्ज इन्तकाल को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गई है। दावा ही मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत रकबा अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त में है। प्रार्थीगण का कब्जा कभी भी प्रश्नगत रकबा पर नही रहा है। अप्रार्थीगण पंजीकृत दस्तावेज से खरीद होकर कब्जा काश्त करते आ रहे है। मौका पर खातेदार कृषक है। खातेदार कृषक के विरूद्ध स्थगन जारी किया जाना उचित नही है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से लगभग 61 वर्ष बाद वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र आधारहीन होने तथा मनगढ़त होने से निरस्त किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रश्नगत रकबा अप्रार्थी संख्या 1 रूपराम के वारिसान के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/5 राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदार है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत नही किया है कि जिससे यह साबित हो कि प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में साबित होता हो। प्रार्थीगण ने लगभग 61 वर्ष बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित प्रतीत नही होती है। प्रार्थना पत्र आधारहीन होने तथा साबित नही होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jairam Prakash Meena
Date: 2026.02.19 17:21:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (राज.)